सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 507 राँची, शुक्रवार, 28 जून, 2019 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संकल्प

18 जून, 2019

विषयः- झारखण्ड वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2014 (विज्ञापन सं0-03/2014) के संदर्भ में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई संशोधित अनुशंसा के फलस्वरूप 36 नये वनरक्षियों की नियुक्ति एवं पूर्व अनुशंसित एवं कार्यरत 29 वनरक्षियों को सेवा में बनाये रखने की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-3बी०/क्षे०स्था० (व०नि०)-23/2018 -2209 व०प०-- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत वनरक्षी के रिक्त 2204 पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना पर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखण्ड वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2014 (विज्ञापन सं०-03/2014) आयोजित कर पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष-2017 में जिलावार एवं कोटिवार अनुशंसा की गई थी। उक्त अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा वनरक्षियों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई।

2. चिकित्सकीय परीक्षण में असफल कई अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किए गए, जिसमें न्यायालय द्वारा उक्त अभ्यर्थियों का **Apex Medical Board** से पुनः चिकित्सकीय परीक्षण कराने एवं चिकित्सकीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों के नामों को भी विचार में रखते हुए संशोधित मेघा सूची तैयार कर अनुशंसा करने का निदेश झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को दिया गया।

3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा **Apex Medical Board** द्वारा किए गये पुनः चिकित्सकीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को विचार में रखते हुए 9जिलों हेतु आरक्षण कोटिवार संशोधित अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी है। यह संशोधित अनुशंसा आयोग के कई पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है। पुनः चिकित्सकीय परिक्षण के मामलों का प्रभाव यह है कि 34 नए अभ्यर्थी मेघा सूची में शामिल किए गए है एवं 28 पूर्व से नियुक्ति एवं कार्यरत वनरक्षी मेघा सूची से बाहर किए गए हैं।

4. एक अन्य मामले में पूर्वी सिंहभूम जिले में एक कार्यरत अभ्यर्थी को हटाते हुए एक नये अभ्यर्थी की अनुशंसा आयोग द्वारा इसलिए की गई है कि आयोग के लिपिकीय भूल के कारण उस सफल अभ्यर्थी का नाम परीक्षाफल में सम्मिलित नहीं किया जा सका था।

5. पूर्व से नियुक्त सभी वनरक्षी नियमावली के प्रावधान अन्तर्गत प्रक्रियानुसार नियुक्त किये गये हैं। नियमावली में प्रावधानित मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। ये सभी वनरक्षी एक वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं। बाद में माननीय उच्च न्यायलय के आदेश के अनुपालन में गठित एपेक्स मेडिकल बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य जाँच में सफल उम्मीदवारों को शामिल कर संशोधित अनुशंसा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई है।

अतएव सरकार द्वारा पूर्व से कार्यरत 29 वैसे वनरक्षियों जिनका नाम संशोधित अनुशंसा में नहीं है, को भी सेवा में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

6. भविष्य में यदि इस प्रकार के संशोधन मेघा सूची में किये जाते है तो नए अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मेघा सूची से बाहर हुए कार्यरत वनरक्षी को निकाले बिना माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से की जायेगी। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आयोग से प्राप्त जिलावार/कोटिवार संशोधित मेधा सूची में अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2014 में अधियाचित संख्या से अधिक न हो।

7. प्रस्ताव पर वन विभागीय संलेख ज्ञापांक-1406 दि0-15.04.2019 के क्रम में मंत्रिपरिषद की दि0-04.06.2019 बैठक में मद सं0-11 में स्वीकृति दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट,)
अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 507 -- 50